

**कार्यालय कलेक्टर, जिला-कोरबा, (छ.ग.) एवं पदेन उपसचिव,
छ.ग. शासन राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग**

पत्र क्र./ 1065)

---: प्रारंभिक अधिसूचना :---

/भू-अर्जन/2022,

कोरबा, दिनांक 15/09/2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम(6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है-

अनुसूची

भूमि का प्रकार							
जिला	तहसील	भूमि का प्रकार ग्राम/प.हं.न.	खं.न.	क्षेत्रफल (हे.में)	धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	
कोरबा	कटघोरा	हरभांठा/15	कालम सलग्न (कुल खसरा नं. 28)	कालम सलग्न (कुल रकबा 1.526 हे.)	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, कोरबा	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण	
ख.न.	क्षेत्रफल (हे. में)	ख.न.	क्षेत्रफल (हे. में)	ख.न.	क्षेत्रफल (हे. में)	ख.न.	क्षेत्रफल (हे. में)
4	5	4	5	4	5	4	5
236	0.069	164/4	0.040	270	0.145	251/2	0.003
228	0.065	164/9	0.008	272	0.008	227/2	0.226
227/1	0.036	255	0.061	278/1	0.036	276/2क	0.036
239/1	0.037	256	0.165	278/2	0.040	276/2ख	0.045
239/2	0.016	271	0.093	276/6	0.040	276/5	0.048
239/4	0.020	164/10	0.020	251/3	0.063	241/3	0.004
164/6	0.057	269/3	0.105	251/1	0.024	241/1	0.016
योग				1.526			

2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में से कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं

उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयम् अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, जिला-कोरबा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रशासक नियुक्त किया गया है।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(संजीव कुमार झा)

कलेक्टर,

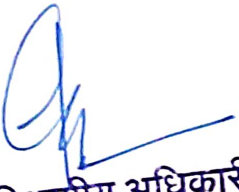
जिला-कोरबा

एवं पदेन उप सचिव

छ.ग. शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग


अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उप संभाग
क्रमांक 1, कटघोरा


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ. ग.)